"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2023 — श्रावण 2, शक 1945

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2023

अधिसूचना

कमांक एफ 5—9/आठ—परि./2022.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (क. 59 सन् 1988) की धारा 65 सहपठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप—धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थातः—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 158 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-

''(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी, जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले पंजीकृत हो।''

उक्त संशोधन, अधिसूचना क्रमांक एफ 5—11/आठ—परि./2013 के प्रकाशन दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से प्रभावशील होगा।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 18th July 2023

NOTIFICATION

No. F 5-9/VIII-Trans./2022.— In exercise of the powers conferred by Section 65 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (5) of rule 158, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) Nothing contained in this rule shall apply to a Motor Vehicle which is registered before the date on which this rule comes into force."

The said amendment shall be effective from the publication of Notification No. F-5-11/Eight-Circle/2013, dated 31st December, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDAY, Deputy Secretary.